AVIVA
Life Insurance

INDIA PARTNER Dabur GROUP

अवीवा न्यू ट्रेडिशनल एंप्लॉई बेनिफिट प्लान

नॉन लिंक्ड नॉन–पार्टिसिपेटिंग बीमा योजना

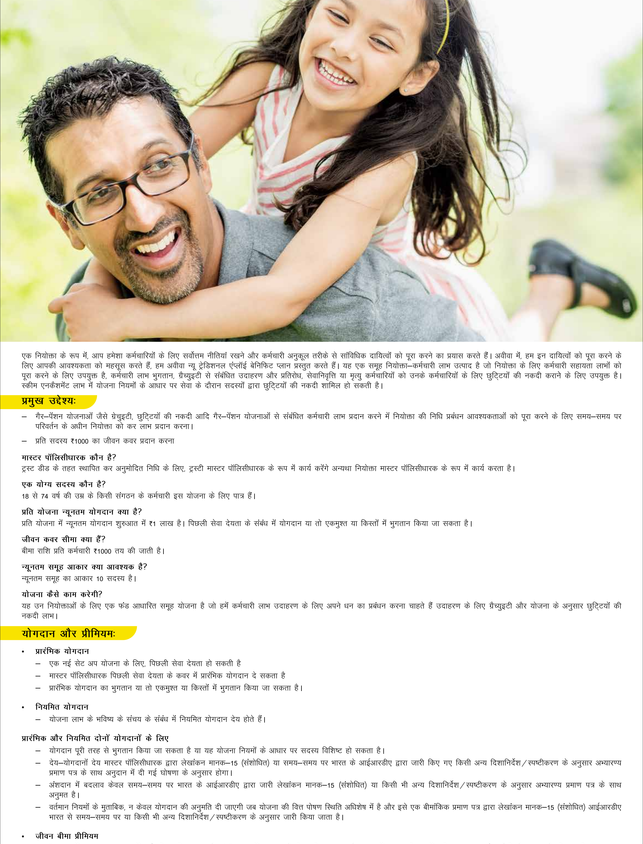

एक नियोक्ता के रूप में, आप हमेशा कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम नीतियाँ रखने और कर्मचारी अनुकूल तरीके से सांविधिक दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अवीवा में, हम इन दायित्वों को पूरा करने के लिए आपकी आवश्यकता को समझ करती हैं, हम अवीवा न्यू ट्रेडिशनल एंप्लॉई बेनिफिट प्लान प्रस्तुत करते हैं। यह एक समूह नियोक्ता–कर्मचारी लाभ उत्पाद है जो नियोक्ता के लिए कर्मचारी सहायता ग्रतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त है, कर्मचारी लाभ भुगतान, ग्रैच्युइटी से संबंधित उदाहरण और प्रतिरोध, सेवानिवृत्ति या मृत्यु कर्मचारियों को उनके कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नकदी करने के लिए उपयुक्त है। स्वीम एनवीसीएट लाभ में योजना नियमों के आधार पर सेवा के दौरान सदस्यों द्वारा छुट्टियों की नकदी शामिल हो सकती है।

प्रमुख उद्देश्य:

- गैर–पेंशन योजनाओं जैसे ग्रेच्युइटी, छुट्टियों की नकदी आदि गैर–पेंशन योजनाओं से संबंधित कर्मचारी लाभ प्रदान करने में नियोक्ता की निधि प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय–समय पर परिवर्तन के अधीन निपोक्ता को कर लाभ प्रदान करना।
- प्रति सदस्य ₹1000 का जीवन कवर प्रदान करना

मास्टर पॉलिसीधारक कौन है?
ट्रस्ट डीड के तहत स्थापित कर अनुमोदित निधि के लिए, ट्रस्टी मास्टर पॉलिसीधारक के रूप में कार्य करेंगे अन्यथा नियोक्ता मास्टर पॉलिसीधारक के रूप में कार्य करता है।

एक योग्य सदस्य कौन है?
18 से 74 वर्ष की उम्र के किसी संगठन के कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र हैं।

प्रति योजना न्यूनतम योगदान क्या है?
प्रति योजना में न्यूनतम योगदान शुरुआत में ₹1 लाख है। पिछली सेवा देयता के संबंध में योगदान या तो एकमुश्त या किस्तों में भुगतान किया जा सकता है।

जीवन कवर सीमा क्या है?
बीमा राशि प्रति कर्मचारी ₹1000 तय की जाती है।

न्यूनतम समूह आकार क्या आवश्यक है?
न्यूनतम समूह का आकार 10 सदस्य है।

योजना कैसे काम करेगी?
यह एक नियोक्ताओं के लिए एक फंड आधारित समूह योजना है जो हमें कर्मचारी लाभ उदाहरण के लिए अपने धन का प्रबंधन करना चाहते हैं उदाहरण के लिए ग्रैच्युइटी और योजना के अनुसार छुट्टियों की नकदी लाभ।

योगदान और प्रीमियम:

- **प्रारंभिक योगदान**
  - एक नई सेट अप योजना के लिए, पिछली सेवा देयता हो सकती है
  - मास्टर पॉलिसीधारक पिछली सेवा देयता के कवर में प्रारंभिक योगदान दे सकता है
  - प्रारंभिक योगदान का भुगतान या तो एकमुश्त या किस्तों में भुगतान किया जा सकता है।
- **नियमित योगदान**
  - योजना लाभ के भविष्य के संचय के संबंध में नियमित योगदान देय होते हैं।

प्रारंभिक और नियमित दोनों योगदानों के लिए

- योगदान पूरी तरह से भुगतान किया जा सकता है या यह योजना नियमों के आधार पर सदस्य विशिष्ट हो सकता है।
- देय–योगदानों देय मास्टर पॉलिसीधारक द्वारा लेखांकन मानक–15 (संशोधित) या समय–समय पर भारत के आईआरडीए द्वारा जारी किए गए किसी अन्य दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण के अनुसार अभ्यारूप प्रमाण पत्र के साथ अनुमत है। यह नियमित योगदान में दी गई धोषणा के अनुसार होगा।
- अंशदान में बदलाव केवल समय–समय पर भारत के आईआरडीए द्वारा जारी लेखांकन मानक–15 (संशोधित) या किसी भी अन्य दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण के अनुसार अभ्यारूप प्रमाण पत्र के साथ अनुमत है।
- वर्तमान नियमों के मुताबिक, न केवल योगदान की अनुमति दी जाएगी जब योजना की वित्त योषण स्थिति अधिशेष में है और इसे एक बीमाकिक प्रमाण पत्र द्वारा लेखांकन मानक–15 (संशोधित) आईआरडीए भारत से समय–समय पर या किसी भी अन्य दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण के अनुसार जारी किया जाता है।

- **जीवन बीमा प्रीमियम**
  - ₹1000 प्रति सदस्य का एक अनिवार्य जीवन बीमा कवर होगा। ₹1000 प्रति सदस्य के बीमा की लागत रुपये 0.75 प्रति हजार बीमा राशि की मृत्यु दर चार्ज कटौती के माध्यम से ली जाएगी।

कर्मचारी लाभ की प्रत्येक योजना के लिए अलग नीतियां जारी की जाएंगी।

लाभ:

इस उत्पाद के तहत एक नीति समय–समय पर निम्नलिखित भ्याज दरों/परिकर्मों के साथ जमा की जाएगी

i) एक गारंटीकृत गैर–शून्य सकारात्मक भ्याज दर जो कि प्रति वर्ष 1 प्रतिशत की न्यूनतम फ्लोर दर तिमाही आधार पर पॉलिसी खाते के शेष राशि पर जमा की जाएगी, जहां पॉलिसी खाते का शेष प्रत्येक वित्तीय तिमाही वर्ष की शुरुआत में होगा । यह न्यूनतम फ्लोर दर पॉलिसी की अवधि के दौरान गारंटीकृत रहेगी।

ii) गैर वित्तीय सकारात्मक अतिरिक्त भ्याज दर, यदि कोई हो, (न्यूनतम मंजिल दर से ऊपर और ऊपर), प्रत्येक वित्तीय तिमाही की शुरुआत में घोषित की जाएगी और तिमाही आधार पर पॉलिसी के शेष राशि पर जमा किया जाएगा जहां शेष पॉलिसी खाता प्रत्येक वित्तीय तिमाही की शुरुआत में होगा। न्यूनतम शून्य दर जमा करने के बाद ऐसी गैर शून्य सकारात्मक अतिरिक्त भ्याज दर पॉलिसी खाता मूल्य के शेष में जमा की जाएगी।

गैर वित्तीय सकारात्मक अतिरिक्त भ्याज दर निधि वित्तीय योग्यता के दौरान पृथक निधि की वास्तविक कम भारित वार्षिक प्रतिफल का 90 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर

iii) गैर शून्य सकारात्मक अवशिष्ट जोड़, यदि प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में पॉलिसी खाते में जमा किया जाएगा। गैर शून्य सकारात्मक अवशिष्ट जोड़ों को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(ए) प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में प्रभावी नीति खाते में अर्जित सकल निवेश उपज, प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में पॉलिसी खाता मूल्य में अर्जित कम वास्तविक उपज, इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक पॉलिसी खाते पर अर्जित उपज प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में रिटर्न विधि के पैसे भारित दर का उपयोग करके गणना की जाएगी।

(बी) प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में, न्यूनतम मंजिल दर के बाद और गैर शून्य सकारात्मक अतिरिक्त भ्याज दर जमा की जाती है, गैर शून्य सकारात्मक अवशिष्ट जोड़, यदि कोई पॉलिसी खाता मूल्य में जमा किया जाएगा जो कम से कम 90 प्रतिशत के बराबर होगा प्रभावी नीति खाता शेष और वास्तविक नीति खाता देय राशि के बीच अलग–अलग।

(सी) प्रभावी नीति खाता मूल्य देनिक आधार पर बनाए रखा जाएगा। इस तरह के प्रभाव नीति खाते की गणना सभी आय तत्वों जैसे प्रीमियम, टीए आय प्रीमियम, निवेश से आय और प्राप्त होने पर वास्तविक आय के आधार पर की जाएगी और सभी वास्तविक डेबिट जो पॉलिसी खाता मूल्य पर आर्थिक रूप से वापस आती हैं, जब वास्तविक सकल निवेश उपज पर डेबिट की जाती है ।

(डी) गैर शून्य सकारात्मक अवशिष्ट जोड़ों को इस तरह से जमा किया जाएगा कि इन्हें हमेशा उपज में निम्न या निम्न कमी में परिणाम मिलता है:

पॉलिसी की शुरुआत के बाद से बीत चुके वर्ष	उपज में अधिकतम कमी (सकल निवेश उपज और शुद्ध उपज के बीच अंतर (प्रतिवर्ष प्रतिशत)
5	4.00%
6	3.75%
7	3.50%
8	3.30%
9	3.15%
10	3.00%

योजना के तहत कर्मचारी के लाभ:

योजना के नियमों के अनुसार विभिन्न कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के लिए पॉलिसी अकाउंट का उपयोग किया जाएगा।

मृत्यु का लाभ:

बीमाकृत सदस्य की मृत्यु के मामले में, योजना विशिष्ट मृत्यु लाभ के अलावा, ₹1000 प्रति सदस्य की निश्चित बीमा कवर राशि भी देय होगी।

सभी योजना सदस्यों के संबंध में मास्टर पॉलिसी के तहत कोई भी भुगतान करने के लिए अवीवा के लिए अधिकतम देयता प्रति वर्ष ₹1000 (प्रति सदस्य) के जीवन बीमा कवर को छोड़कर पॉलिसी खाते के तहत उपलब्ध बाकए शून्य तक ही सीमित होगी।

कर भ्यावर्ये क्या हैं?

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, इमारी अप्रैल 2012, अनुमोदन निधि के मामले में निम्नलिखित कर लाभ उपलब्ध हैं:

- किसी वित्तीय वर्ष में कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान/योगदान का भुगतान भुगतान के वर्ष में कर पदेश्यों के लिए एक व्यय के रूप में माना जा सकता है
- प्रत्येक वर्ष सेवा के लिए आधे महीने के औसत वेतन तक कर्मचारी द्वारा प्राप्त ग्रैच्युइटी, अधिकतम ₹10,00,000 के अधीन धारा 10 (10) D के तहत छूट है
- बीमाकृत कर्मचारी की मृत्यु में देय जीवन बीमा वह कर से मुक्त है।
- कर कानून समय–समय पर बदल सकते हैं।

नीति का विघटन:

प्रत्येक वार्षिक नवीनीकरण तिथि (ARD) पर, मास्टर पॉलिसीधारक को लेखांकन मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार दिए गए बिमाकिक प्रमाण पत्र के अनुसार योजना की निधि स्थिति के बारे में एक लिखित भोषणा प्रस्तुत करनी होगी। यदि ऐसी भोषणा वार्षिक नवीनीकरण तिथि के 30 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है या जमा की गई कवियेन स्थिति से पता चलता है कि योजना को वित्त पोषित किया गया है, तो पॉलिसी बंद कर दी जाएगी, सभी सदस्यों के संबंध में लाइव कवर बंद हो जाएगा।

i. शून्य योगदान की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब योजना की वित्त योषण स्थिति अधिशेष में हो और उसे लेखा मानक के 15 (संशोधित) के अनुसार एक बिमाकिक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाता है अन्यथा पॉलिसी अनुबंध एक बंद अनुबंध और जीवन बीमा बन जाएगी सभी सदस्यों की पॉलिसी तुरंत समाप्त की दी जाएगी।

ii. एक बंद पॉलिसी समय–समय पर घोषित भ्याज अर्जित करना जारी रखेगी और दावों की उपलब्धता के अधीन दावों का निपटारा किया जाएगा।

बहाली अवधि क्या है?

निरंतर पॉलिसी को बहाल करने की तारीख से घाँच साल की बहाली अवधि की अनुमति दी जाती है। यदि पुनर्समाप्ति अवधि के दौरान एक बंद पॉलिसी बहाल नहीं की जाती है, तो पॉलिसी पॉलिसीधारक को पॉलिसी के पॉलिसी खाता मूल्य का भुगतान करके पुनर्समाप्त अवधि की समाप्ति के बाद पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी।

हालांकि पुनर्समाप्त अवधि के दौरान पॉलिसी नियमित भ्याज अर्जित और जमा अर्जित करना जारी रखेगी, योजना नियमों के मुताबिक, फंड की उपलब्धता के अधीन भुगतान किया जाएगा।

मास्टर पॉलिसी के आत्मसमर्पण पर देय राशि क्या है?

किसी भी समय मास्टर पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी आत्मसमर्पण की जा सकती है। सरेंडर मूल्य पॉलिसी खाते के अनुसार राशि होगी।

कर: वस्तु और सेवा कर सहित कर्ज सीमित नहीं है, लागू होने वाले सेस से समय–समय पर सरकार द्वारा ओपेशूचित किया जाएगा।

कर कानून बदल सकते हैं।

प्रीलुक अवधि: आपको पॉलिसी नियमों और शर्तों की समीक्षा करने और पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी पॉलिसी रद्द करने का अधिकार है। यदि आप अपनी पॉलिसी रद्द करते हैं, तो आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम को कवर और स्टेम ड्यूटी शुल्कों की अवधि के लिए अनुपातिक जोखिम प्रीमियम के समायोजन के बाद धनवापसी की जाएगी।

अग्रिम जानकारी

स्वीकृति

अवीवा जोखिम की स्वीकृति और प्रीमियम की प्राप्ति तक उत्तरदायी नहीं होगा।

क्यों करें अवीवा के साथ निवेश

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड, डाबर इंवेस्टमेंट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम है, जो पूर्व स्थित बीमा समूह है, जिसका भारत के साथ संबंध 1834 तक जाता है। अवीवा जीवन बीमा चुनकर आपको एक के प्रबंधन अनुभव से लाभ होता है दुनिया का सबसे पुराना बीमा समूह, 1696 से पहले के इतिहास के साथ। आज, अवीवा समूह के 16 देशों में 31 मिलियन ग्राहक हैं (मार्च 2015 तक)।

1884 में स्थापित डाबर समूह, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।

धारा 41

कोई भी व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने की अनुमति देने की अनुमति नहीं देगा, किसी भी छूट देय कमीशन का पूरा या हिस्सा पॉलिसी पर रिबाए गए प्रीमियम का कोई भी छूट, और न ही किसी भी व्यक्ति को पॉलिसी लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी छूट को स्वीकार किया जाएगा, इस तरह के छूट को छोड़कर प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या टेंडर के अनुसार अनुमति दी जा सकती है बीमाकर्ता:

बशर्ते कि जीवन बीमा पॉलिसी की पॉलिसी के संबंध में कमीशन के बीमा एजेंट द्वारा स्वीकृति दी गई हो अपने जीवन पर खुद को समझ नहीं जाएगा, इस उपचार्ता के समय प्रीमियम के छूट के स्वीकृति के लिए यदि इस तरह की स्वीकृति के समय बीमा एजेंट निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित एक पूर्व बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई भी व्यक्ति जिसे/जिन सेल से दंडनीय होगा जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 45

समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद गलतफहमी के आधार पर नीति पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

पूछताछ और शिकायत:
अगर आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं या यदि आपके पास कोई प्रश्न या शिकायत है,
नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें:
अधिक जानकारी के लिए, 1800-103-8000 पर कॉल करSA (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल–फ्री)
या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737, वेबसाइट: www.avivaindia.com

AVIVA
Life Insurance

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम
अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122)
मुख्य कार्यालय: अवीवा टावर, सेक्टर पेज, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम फेज–V, सेक्टर 43, गुड़गाँव-122 003, हरियाणा, भारत।
वेबसाइट: www.avivaindia.com
पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, प्रकाशगीप बिल्डिंग, 7, टोलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

MKT/June 2016 / Ver.1.2

डाबर इंवेस्टमेंट लिमेटेड अवीवा कॉरपोरेशन लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड लाइसेंस का तहत इसका उपयोग करती है। लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122), पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टोलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत। कृपया ध्यान दें कि यह आवर उत्पादेश अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आवश्यकी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पाद होने वाली विसंगत व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण का समय स्थानीय भाषा का अधिमान्य होगा। टोल फ्रीनंबर संख्या (टीएन) 1360011DL200PLC170766, ई–मेल customercare@avivaindia.com, फैक्स 0124-2709211, वेबसाइट www.avivaindia.com. मेरे संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू, जो बदल सकते हैं।UIN: 122N102V01, Advt. No.: AN Jul 04/17.

कर्जों फोन कॉल और जारी/रुपी की ओपनों से सावधान IRDA की सार्वजनिक सेवा • IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या म्यूचीयलल फंडकार की बिक्री या फिर प्रीमियम इकेलटरों जैसे कार्य नहीं करते हैं। • IRDA किसी बीमा की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में उसर शिकायत करें।